

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेज/2014

जयपुर, दिनांक :

**06 APR 2015**

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2015 से अकुशल श्रमिक मजदूरी दर के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 10.04.2014 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2015 को अधिसूचना जारी कर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में संशोधन कर योजनान्तर्गत नियोजित किए जाने वाले अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दर में 01 अप्रैल, 2015 से संशोधन कर राज्य के लिए यह दर रु. 173/- प्रति दिवस की गई है (प्रति संलग्न)।

अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2015 से नियोजित किए जाने वाले अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का भुगतान रु. 173/- प्रति दिवस की दर से किया जावे।

भवदीय

कन्हैयालाल

(कन्हैयालाल स्वामी) 5/15

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान, समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

कन्हैयालाल

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

Notification

New Delhi, the 31<sup>st</sup> March, 2015.

S.O. (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 463(E) dated the 26<sup>th</sup> February, 2013, namely:-

1. In the said notification,-

(i) for the "SCHEDULE", the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule

State-wise wage rate for unskilled manual workers

(Rs. per day)

Sl. No	Name of State/ Union territory	Wage rate in Rs. per day
(1)	(2)	(3)
1	Assam	Rs. 179.00
2	Andhra Pradesh	Rs. 180.00
3	Arunachal Pradesh	Rs. 167.00
4	Bihar	Rs. 162.00
5	Gujarat	Rs. 178.00
6	Haryana	Rs. 251.00
7	Himachal Pradesh	Non-scheduled Areas-Rs. 162.00 Scheduled Areas-Rs. 203.00
8	Jammu and Kashmir	Rs. 164.00
9	Karnataka	Rs. 204.00
10	Kerala	Rs. 229.00
11	Madhya Pradesh	Rs. 159.00
12	Maharashtra	Rs. 181.00
13	Manipur	Rs. 190.00

14	Meghalaya	Rs.163.00
15	Mizoram	Rs.183.00
16	Nagaland	Rs.167.00
17	Odisha	Rs.174.00
18	Punjab	Rs. 210.00
19	Rajasthan	Rs. 173.00
20	Sikkim	Rs. 167.00
21	Tamil Nadu	Rs.183.00
22	Tripura	Rs 167.00
23	Uttar Pradesh	Rs. 161.00
24	West Bengal	Rs. 174.00
25	Chhattisgarh	Rs. 159.00
26	Jharkhand	Rs.162.00
27	Uttarakhand	Rs.161.00
28	Goa	Rs.208.00
29	Andaman and Nicobar	Andaman District
		Rs. 228.00
		Nicobar District
		Rs. 241.00
30	Dadra and Nagar Haveli	Rs.196.00
31	Daman and Diu	Rs.181.00
32	Lakshadweep	Rs.210.00
33	Puducherry	Rs. 183.00
34	Chandigarh	Rs. 239.00
35.	Telangana	Rs. 180.00";

(ii) second paragraph shall be deleted.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2015.

[ F. No. J-11011/1/2009-MGNREGA (Pt.III)]

APARAJITA SARANGI, Joint Secretary